संख्या : 14 / 2020 / बी-2-55 / दस-2020

प्रेषक,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक : 25 मार्च, 2020

विषय : प्रदेश में 50 करोड रूपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में नीति निर्धारण ।

महोदय,

प्रदेश में 50 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ई.पी.सी. मोड में कराये जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/ दस-2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 के प्रस्तर-2 में यह व्यवस्था दी गई है कि कतिपय कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आर्किटेक्ट/विशेषज्ञ/कन्सल्टेन्ट की सेवायें भी प्राप्त की जा सकेंगी ।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में 50 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवन निर्माण संबंधी परियोजना के लिये डी0पी0आर0 तैयार किये जाने तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार कन्सल्टेन्ट का चयन, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत "Manual for Procurement of Consultancy & Other Services, 2017" (जो वेब साइट https://doe.gov.in/manuals पर उपलब्ध है) में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाय।

3- इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि कन्सल्टेन्ट के चयन की कार्यवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित की जायेगी। भवन निर्माण परियोजना जिस विभाग से सम्बन्धित होगी उस विभाग के विशेषज्ञ अधिकारी को कन्सल्टेन्ट के चयन की कार्यवाही में सम्मिलित किया जा सकता है।

4- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगें।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 14 /2020/बी-2-55(1)/दस-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3 प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।
6 निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान,उ.प्र., लखनऊ ।
7 तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।